राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3178/2022

राजकुमारी तिवाड़ी मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधि
1/1 श्री विक्रम वशिष्ठ पति स्व. श्रीमती राजकुमारी तिवाड़ी –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अति. मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर।
3. निधि कौशिक, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, ब्रह्मपूरी, कंवर नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.08.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता,

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पूर्व में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 09.08.2022 को चुनौती दी थी। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण रा.उ.मा.वि., अकटासा, जिला बून्दी से रा.बा.उ.मा.वि. ब्रह्मपूरी, कंवर नगर, जिला जयपुर किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 08.08.2022 को जयपुर में कार्यग्रहण कर लिया था। इसके पश्चात अपीलार्थी का उक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 09.08.2022 के द्वारा निरस्त किया गया था। अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष आदेश दिनांक 09.08.2022 को चुनौती दी थी। इस अधिकरण ने आदेश दिनांक 02.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 09.08.2022 को स्थगित रखा था और यह भी आदेश दिया था कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था। उक्त स्थगन आदेश की पालना में अपीलार्थी जयपुर में ही कार्यरत था। तत्पश्चात अपीलार्थी की मृत्यु दिनांक 04.08.2023 को हो चुकी है, जिनके विधिक प्रतिनिधि के रूप में उनके पति श्री विक्रम वशिष्ठ ने पक्षकार बनने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी के स्थान पर श्री विक्रम वशिष्ठ को 1/1 के रूप में अपीलार्थी के विधिक प्रतिनिधि के रूप में जोड़ा जाता है। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अधिकरण के स्थगन आदेश की पालना में अपीलार्थी रा.बा.उ.मा.वि. ब्रह्मपूरी, कंवर नगर, जिला जयपुर में कार्यरत रही। उनका कथन है कि अपीलार्थी

को जनवरी, 2023 से मृत्यु होने की दिनांक तक का वेतन एवं एरियर प्रदान नहीं किया गया है।

2. अपीलार्थी की उपरोक्त सीमित प्रार्थना को देखते हुए इस अपील में यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग मृतक राजकुमारी तिवाड़ी के समस्त बकाया वेतन का भुगतान उनके विधिक प्रतिनिधि/नोमिनी श्री विक्रम वशिष्ठ को जयपुर शहर के किसी भी रिक्त पद से प्रदान किया जाये एवं नियमानुसार समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जायें। इस आदेश की पालना 3 माह में सुनिश्चित की जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)